

भारत सरकार Government Of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
एनएफसी स्थापना (पेंशन) NFC Estt.(Pension)

ईसीआईएल डाक ECIL(PO)  
हैदराबाद Hyderabad-500062

**पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी हेतु प्रपत्र**  
**Proforma for Pensioners and Family Pensioners**

सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम Name of the Retired Officer	
पीपीओ नं. PPO No:	
पता Address:	
पारिवारिक पेंशनभोगी की जन्मतिथि Date of birth of the Family Pensioner	
टेलिफोन नं. Telephone no.	
मोबाईल नं. Mobile no	
ईमेल Email	
बैंक का नाम व पता Bank Name &Address	
खातेदार का नाम Name of Account holder	
बैंक खाता क्र. Bank Account No	
IFSC/NEFT code विवरण	
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी का आधार नं. Aadhar No.of Pensioner/Family Pensioner	
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी का पैन नं. Pan No. of Pensioner/Family Pensioner	
पेंशनभोगी के मामले में निम्नलिखित सूचनाएँ दी जानी चाहिए : In case of pensioners, the following information may also be given :	
पति/पत्नी का आधार नं. Aadhar No. of family pensioner	
पति/पत्नी का पैन नं. Pan No. of family pensioner	
पति/पत्नी की जन्मतिथि Spouse Date of Birth	
Date of Birth of family pensioner पति/पत्नी की जन्मतिथि का प्रमाण	

नोट : आधार, पैन और बैंक खाते का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

Note : Proofs of Aadhar, PAN and Bank Account shall be enclosed.

यह सूचना सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों के तहत पेंशन के संशोधन हेतु आवश्यक है।  
This information is required for revision of pension under the 7<sup>th</sup> CPC rules.

हस्ताक्षर Signature :

दिनांक Date :

भारत सरकार Government Of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex  
पेंशन अनुभाग Pension Section

ईसीआईएल डाक ECIL(PO)  
हैदराबाद Hyderabad-500062

NFC/Estt (Pen.)/2016-2017

July 27 ,2017.

**विषय : सूचना शीघ्र भेजने संबंधी**  
**Sub : Furnishing information early-reg**

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद/पलयकायल (जेडसी) से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को सूचित किया जाता है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन को संशोधित किया जाना है। अपेक्षित सूचना ई-मेल, फैक्स अथवा पोस्ट के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित की जाए ताकि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन कार्य वरीयता के आधार पर किया जा सके।

It is brought to the notice to all the Pensioners and Family Pensioners retired from Nuclear Fuel Complex, Hyderabad/Pazayakahal(ZC), that the Pension is to be revised as per OM dated 12.05.2017 of DP&PW under the 7<sup>th</sup> CPC Rules. Requisite information may kindly be forwarded via email, fax or post at the earliest, so that the revision of Pension/Family Pension can be taken up on Priority.

उक्त के लिए एक प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रपत्र में सभी सूचनाएँ देना अनिवार्य है। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा विधिवत् रूप से भरा और हस्ताक्षरित किया हुआ प्रपत्र प्रशासनिक अधिकारी-3 (पेंशन), एनएफसी, ईसीआईएल डाक, हैदराबाद-62 को डाक द्वारा या ([ao-estt@nfc.gov.in](mailto:ao-estt@nfc.gov.in)) ([apo-estt2@nfc.gov.in](mailto:apo-estt2@nfc.gov.in))/फैक्स 040-27121271 पर ईमेल द्वारा अनिवार्य रूप से भेज दिया जाए।

A format for the same is enclosed herewith. All fields are mandatory to be filled. The filled-in format duly signed by the Pensioner/Family Pensioner may be invariably sent to Administrative Officer-III(Pension), NFC, ECIL(PO), Hyderabad-62 by Post/email ([ao-estt@nfc.gov.in](mailto:ao-estt@nfc.gov.in)) ([apo-estt2@nfc.gov.in](mailto:apo-estt2@nfc.gov.in))/Fax 040-27121271.

संलग्नक Encl: यथोपरि a.a.



(ए. जया कृष्णा A.Jaya Krishna)  
प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer-III

एनएफसी के सभी पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी  
All Pensioners and Family Pensioners in NFC

प्रतिCC : उप लेखा नियंत्रक (बजट), नाईस DCA(B), NFC } सादर सूचनार्थ।  
संयुक्त नियंत्रक (वि व ले), नाईस JC(F&A), NFC } for information please.